न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 48/2018 तारीख रजू:– 27.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

बिरमा देवी पत्नि गोपी जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली ---------- सायला

बनाम

1. नूर पुत्र बदले जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ---------- गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायला
2. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट गैरसायल सं01

निर्णय

दिनांक :– 30-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.27 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन है, जिसमें सायला का 1/2 हिस्सा व गैरसायल का 1/2 हिस्सा है तथा सायला व गैरसायल नं01 उपरोक्त आराजी को संयुकत रूप से काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी से अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र को सायला ने उसके साबिक खातेदार श्रीमती कमलेश व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

श्रीमती विमलेश पिसरान विशम्भरदयाल हि01/2 बहिस्सा बराबर को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 22.11.2011 को मुवलिग 151000/—रूपया में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था और तभी से उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा पर काबिज व दखील होकर काश्त करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि सायला द्वारा कमलेश व विमलेश का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 जरिये पंजीकृत बयनामा खरीदने के पश्चात कमलेश के हिस्से का नामान्तकरण तो सायला के हक में खुल गया, लेकिन विमलेश के हिस्से का नामान्तकरण शुद्धिपत्र के कारण प्रकियाधीन रहा, इसलिए उसका नाम जमाबन्दी में अंकित है लेकिन विमलेश का उक्त भूमि पर विक्रय के बाद ना तो कोई कब्जा है और ना ही उक्त भूमि से उसका कोई वास्ता है तथा खरीद के आधार पर एक मात्र सायला ही उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा की मालिक व काबिज दखील है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में गैरसायल ने सायला के विरूद्ध एक दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी नूर बनाम बिरमा मुकदमा नं0 34/2018 आदि न्यायालय में दायर कर दिया, जिसकी तारीख पेशी 02.07.2018 नियत है तथा उक्त दावा गैरसायल सं01 द्वारा बिल्कुल गलत व झूंठे तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 व सायला के मध्य उक्त आराजी मुतदाविया का कोई विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा दोनों ही उक्त आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज व दखील होकर काश्त करते हैं, मगर गैरसायल सं01 बेईमान प्रवृति का व्यक्ति हैं, येनकेन प्रकारेण आराजी मुतदाविया का बिना विधिवत विभाजन कराये उसे विक्रय करने पर व भूमि को कृषि से अकृषि में तब्दील करने पर आमादा है और इस सम्बन्ध में विशम्भरदयाल पुत्र घमण्डीराम ब्राहम्ण निवासी बमनपुरा की बगीची हिण्डौन से वार्तालाप कर रखा है, इस प्रकार सायला का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 19.06.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

2018 समय करीब शाम के 6 बजे का है कि उक्त दिनांक को बरसात होने के पश्चात सायला आराजी मुतदाविया मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र की भूमि की सार संभाल करने गयी तो मौके पर गैरसायल नं01 अपने हमराही विशम्भरदयाल के साथ मौके पर आ गया और सायला को यह धमकी दी कि मैंने अपने हिस्से की भूमि का सौदा गैरसायल नं01 को कर दिया है और भूमि में प्लाट काटकर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर देंगे तथा बचने के लिए मैंने बंटवारे का दावा विशम्भरदयाल को अपना मुख्त्यारखास बनाकर दायर कर दिया है तथा भूमि में शीघ्र ही खण्डे डलवाकर डिमार्केशन करके प्लॉटिंग कर देंगें और तुम्हें बेदखल कर देंगे। जिस पर सायला ने गैरसायल नं01 से कहा कि जम तुमने बंटवारे का दावा कर रखा है तो बिना बंटवारा न्यायालय से कराये भूमि में प्लॉटिंग क्यों कर रहे हो, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित मत करो। इस पर गैरसायल नं01 व उसके हमराहियों ने कहा कि हमने तो बचाव के लिए दावा कर रखा है और हम तो इसमें प्लॉटिंग करके रहेंगे, तुमसे बने सो करो तथा गैरसायल अपने उक्त नापाक इरादों में सफल हो गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी, इसलिए गैरसायल को रोका जाना कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ताफैंसला दावा इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह दौराने दावा आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.27 है0 कस्बा हिण्डौन का बिना विधिवत बंटवारा कराये उसके किसी भी हिस्से को रहन बय नहीं करें तथा सायला के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय करें, ना किसी अन्य से करावें तथा भूमि को किसी को रहन–बय नहीं करें और ना ही भूमि में प्लॉटिंग कर उसे कृषि से अकृषि में परिवर्तित करें और ना ही भूमि से सायला को जबरन बेदखल करें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे भूमि की किस्म में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कोई परिवर्तन हो और ना ही सायला को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा हो। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाद तामील गैरसायल नं01 की ओर से जरिये मुख्त्यारखास विशम्भरदयाल शर्मा पुत्र घमण्डीराम जाति ब्राहम्ण निवासी बमनपुरा बगीची हिण्डौन तहसील हिण्डौन जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जरिये मुख्त्यारखास विशम्भरदयाल शर्मा की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में भूमि खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.27 है0 कस्बा हिण्डौन में सायला का कोई हिस्सा 1/2 दर्ज नहीं है, बल्कि गैरसायल सं01का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है, सायला व गैरसायल सं01 तथा दावे के प्रतिवादी सं02 विमलेश देवी मौके पर बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से पर लम्बे अर्से से काबिज व दखील हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 लाइल्मी अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज तथ्य गलत है, स्वीकार नहीं है, मुताविक राजस्व रिकार्ड आज भी विमलेशदेवी पुत्री विशम्भरदयाल विवादित आराजी में हिस्सा 1/4 की खातेदार काश्तकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज मुकदमा गैरसायल सं01 द्वारा पेश किया जाना और उसमें सुनवाई की तारीख पेशी 02.07.2018 होना स्वीकार है, जिसमें दर्ज कोई भी तब्य गलत या झूंठा नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज तथ्य गलत है और स्वीकार नहीं है, गैरसायल सं01 द्वारा सायला से विवादित आराजी का आपसी सहमति से तहसील चलकर बंटवारा करने के लिए कई बार कहा क्योंकि विवादित आराजी की सीमाओं व भेज सरकारी को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लेकर गैरसायल सं01 व सायल व अन्य के बीच आये दिन विवाद होते रहे हैं, गैरसायल सं01 द्वारा आपसी सहमति से बंटवारे के लिए तैयार नहीं होने पर गैरसायल द्वारा सायला व अन्य के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दावा नम्बर 34/18 बाबत् तकास्मा आराजी विधिवत रूप से पेश किया है, जिसमें मीट एण्ड बाउण्ड के आधार पर गैरसायल सं01 आज ही विधिवत बंटवारा करने के लिए तैयार व तत्पर है, लेकिन सायला बराये बदयान्ति विवादित आराजी का आपसी सहमति से या न्यायालय हाजा के जरिये विधिवत बंटवारा करवाये जाने के लिए तैयार व इच्छुक नहीं है, इसलिए उनके द्वारा मुकदमा हाजा के उक्त मद में विक्रय की झूंठी कहानी गढकर तथ्य दर्ज किये है, गेरसायल ने विशम्भरदयाल शर्मा से अपने हिस्से की भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में कोई वार्तालाप नहीं किया है, बल्कि विशम्भरदयाल तो गैरसायल सं01 के हमेशा से निकट सम्पर्की, विश्वासपात्र व्यक्ति रहें हैं, जिनके लिए गैरसायल नं01 ने विवादित आराजी के बाबत् समस्त विधिक कार्य करने के लिए जरिये पंजीकृत पॉवर ऑफ एर्टोनी अधिकृत किया है, शेष तथ्य गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। सायला का कोई प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 गलत है, स्वीकार नहीं है। दिनांक 19.06.2018 को शाम 6 बजे या अन्य किसी दिन सायला व गैरसायल सं01 के बीच उक्त मद में दर्ज कोई बातें कभी नहीं हुई, सायला ने उक्त मद में दर्ज समस्त बातें काल्पनिक व झूंठी दर्ज की है। विवादित आराजी में कोई डिमार्केशन या प्लाटिंग का कार्य नहीं किया है, ना ही उसे अकृषि में परिवर्तित किया है बल्कि गैरसायल सं01 द्वारा आराजी के विधिवत बंटवारे के लिए न्यायालय हाजा में वाद पेश किया है। विवादित आराजी के हिस्सा 1/2 का गैरसायल सं01 रिकोर्डेड खातेदार है, जिसे अपने हिस्से की आराजी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग, विक्रय व हस्तातंरण करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। सायला को गैरसायल के किसी कृत्य से कोई अपूर्तनीय क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं07 गलत है, स्वीकार नहीं है। सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में किसी भी प्रकार से साबित नहीं है।

उज्रात मजीद :– जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 द्वारा सायला व अन्य के विरूद्ध विवादित आराजी के विधिवत बंटवारे के लिए न्यायालय हाजा में दावा पेश कर रखा है। गैरसायल मीट एण्ड बाउण्ड के आधार पर विवादित आराजी का आज ही विधिवत बंटवारा करने के लिए तैयार व तत्पर हैं, सायला विवादित आराजी में गैरसायल सं01 को उसके हिस्से के उपयोग ,उपभोग, सीमा व भेज अदायगी के सम्बन्ध में आये दिन विवाद पैदा करती है, इसलिए उनके द्वारा प्रार्थना पत्र आजा विधि विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन प्राप्त किया है, विधिवत रूप से गैरसायल सं01 विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का रिकोर्डेड खातेदार है, जिसे अपने हिस्से का उपयोग, उपभोग, विक्रय अन्तरण करने का विधिक अधिकार प्राप्त है, सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबन्द किया जाना विधितः अनुज्ञेय नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि विवादित आराजी आज भी कृषि के काम आ रही है, जिस पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है, फिर भी बराये बदयांति सायला द्वारा बजाय विधिवत बंटवारा करवाये, मुकदमा हाजा में विवादित आराजी को लम्बे समय तक विवादित बनाये रखने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है, जो काबिले खारिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि विवादित आराजी की वर्तमान मौका स्थिति के विपरीत उसे अकृषि प्रयोजन मे लिए जाने के तथ्य सायला द्वारा काल्पनिक दर्ज किये है और वास्तविक तथ्यों को छुपाया है, इसलिए भी सायला विरूद्ध गैरसायल सं01 स्थगन प्राप्त करने की विधिक रूप से हकदार नहीं है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र 22.11.2011 उनवानी श्रीमती कमलेश पुत्री श्री विशम्भरदयाल पत्नि श्री दिनेश जाति ब्राहम्ण निवासी इनायती हालवासी हिण्डौन सिटी, श्रीमती विमलेश पुत्री विशम्भरदयाल पत्नि पुरूषोत्तम जाति ब्राहम्ण निवासी शहर हालवासी हिण्डौन बहक श्रीमती विरमादेवी पत्नि गोपी जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायला ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायला की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1420 रकंबा 0.27 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी नूर पुत्र बदले हि01/2 जाति मुसलमान सा0ग्राम खातेदार, विमलेश पुत्री विशम्भरदयाल हि01/4 जाति ब्राहम्ण सा.ग्राम खातेदार, बिरमादेवी पत्नि गोपी हिस्सा 1/4 जाति जाट सां0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं02 दिनांक 13.06.2018 शुद्धिपत्र खसरा नम्बर 1420 पर विमलेश पुत्री विशम्भरदयाल, विरमादेवी पत्नि गोपी का नामान्तकरण, प्रकियाधीन है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र 22.11.2011 उनवानी श्रीमती कमलेश पुत्री श्री विशम्भरदयाल पत्नि श्री दिनेश जाति ब्राहम्ण निवासी इनायती हालवासी हिण्डौन सिटी, श्रीमती विमलेश पुत्री विशम्भरदयाल पत्नि पुरूषोत्तम जाति ब्राहम्ण निवासी शहर हालवासी हिण्डौन– विकेतागण प्रथमपक्ष बहक श्रीमती विरमादेवी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पत्नि गोपी जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन– क्रेता द्वितीय पक्ष के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.27 है0 कस्बा हिण्डौन में विक्रेतागण प्रथमपक्ष ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग की भूमि को विल एवज मुवलिग 151000/–रूपया में विक्रय किया जाना तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा संभलाना अंकित किया है तथा विक्रय धन चूकती रोकडी प्राप्त करना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.27 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में मुताविक राजस्व रिकार्ड सायला हि01/4 एवं गैरसायल सं01 हिस्सा 1/2 एवं विमलेश पुत्री विशम्भरदयाल जाति ब्राहम्ण हि01/4 के रिकोर्डेड खातेदार दर्ज हैं। किन्तु विमलेश पुत्री विशम्भरदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.27 है0 कस्बा हिण्डौन में से निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.11.2011 को सायला के हक में बेचान किया जा चुका है तथा विक्रय धन राशि चूकती रोकडी प्राप्त करके कब्जा भी वाकई मौके पर सायला को संभलाना उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट हो चुका है। इस प्रकार सायला उक्त विवादित आराजीयात में हिस्सा 1/2 भाग एवं गैरसायल सं01 हिस्सा 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार होना प्रतीत होता है। गैरसायल सं01 की ओर से जरिये मुख्त्यारखास श्री विशम्भरदयाल शर्मा पुत्र घमण्डीराम जाति ब्राहम्ण निवासी बमनपुरा बगीची हिण्डौन तहसील हिण्डौन जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर बकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जबकि विशम्भरदयाल शर्मा की ओर से दस्तावेजी सबूत में मुख्त्यारखास की प्रति पेश नहीं की गई है। मुख्त्यारनामा खास के अभाव में गैरसायल सं01 की ओर से जरिये मुख्त्यारखास श्री विशम्भरदयाल शर्मा पुत्र घमण्डीराम जाति ब्राहम्ण निवासी बमनपुरा बगीची हिण्डौन तहसील हिण्डौन के द्वारा पेश किया गया बकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर गौर किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पक्षकारान के मध्य और विवाद नहीं बढे, इसलिए मुकदमा नं0 34/2018 उनवानी नूर बनाम बिरमा वगैराह दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय तक उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.27 है0 कस्बा हिण्डौन के रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो उससे सायला के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य और विवाद बढने की भी सम्भावना प्रतीत होती है। सायला का उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.27 है0 कस्बा हिण्डौन में हिस्सा 1/2 भाग है तथा गैरसायल सं01 का भी 1/2 भाग है। यदि गैरसायल सं01 ने अपने हिस्से की भूमि को बिना विधिवत बंटवारा कराये किसी अन्य दीगर व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया, कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर दिया गया तो इससे सायला के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा तथा सायला को अपूर्तनीय क्षति होने की सम्भावना प्रतीत होती है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने पर सायला को अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी पूरी सम्भावना प्रतीत होती है। इस प्रकार सायला का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से मुकदमा नं0 34/2018 उनवानी नूर बनाम बिरमा वगैराह दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.27 है0 कस्बा हिण्डौन का बिना विधिवत बंटवारा कराये उसके किसी भी हिस्से को रहन बय नहीं करें तथा सायला के हि0 1/2 भाग के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

करें, ना किसी अन्य से करावें तथा भूमि को किसी को रहन–बय नहीं करें और ना ही भूमि में प्लॉटिंग कर उसे कृषि से अकृषि में परिवर्तित करें और ना ही भूमि से सायला को जबरन बेदखल करें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे भूमि की किस्म में कोई परिवर्तन हो और ना ही सायला को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा हो। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 30-9-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली